एलन पी.एन.सी.एफ. की सांस्कृतिक संध्या में भुट्टे खां मांगणियार ने प्रस्तुति दी

कोटा, (निसं)। एलन के जवाहर नगर स्थित सम्मुनत समरस सभागार में एलन प्री नर्चर एवं करियर फाउंडेशन की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थानी लोक कलाकार भुट्टे खां मांगणियार एवं समूह ने लोक गीतों और वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में एलन के निदेशक डॉ. नवीन माहेश्वरी, वाइस प्रसीडेंट एवं पीएनसीएफ हैड अमित गुप्ता व स्पिक मैके के नेशनल वाइस चेयरपर्सन अतिथि रहे।

राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर का अनूठा और समृद्ध अनुभव प्रदान करते हुए कलाकारों ने हारमोनियम, कमायचा, खड़ताल और ढोलक की धुनों के साथ राजस्थानी गीतों की लय ताल से एक अद्वितीय संयोजन का उदाहरण दिया। केसरिया बालम से स्वागत करते हुए उन्होंने गोरबंद, छाप-तिलक, निम्बुड़ा, काल्यो कूद पड्यो, पल्लू लटके आदि गीतों के साथ म्हारा सतगुरु आँगन आया वारी जाऊं रे से समां बंधा। मस्त कलंदर गीत में सभी दर्शक झूम उठे। कार्यक्रम स्पिक मेकै के सहयोग से आयोजित किया गया था जिससे युवा पीढ़ी में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, संगीत एवं कला के प्रति एक जागरूकता का आह्वान किया जा सके। भुट्टे खान द्वारा विद्यार्थियों को लोक वाद्य यंत्रों के नाम एवं बनावट की व्याख्या भी इस कार्यक्रम में दी गई। एलन परिवार की ओर से सभी कलाकारों एवं संयोजकों का उपरणा ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। डॉ नवीन माहेश्वरी ने कहा कि जहां अकादमिक सफलता आवश्यक है, वहीं हम सांस्कृतिक धरोहर और कलात्मक अभिव्यक्ति के प्रति गहरी सराहना को भी प्रोत्साहित करते हैं जिनका व्यक्तित्व विकास में अहम योगदान है।

'मां वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की फ्री सोनोग्राफी होगी'

बून्दी (निसं)। सोमवार को मां वाउचर योजना के सफल संचालन के लिए जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में योजना के संचालन प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाया गया। संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने बूंदी जिले के सभी रजिस्टर्ड निजी सोनोग्राफी केन्द्र के संचालकों को मां वाउचर योजना से जुडने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में सीएमएचओ डॉ. ओ. पी. सामर, आरसीएचओ डॉ. सतीश सक्सेना, डीएनओ देवेंद्र सिंह, डीपीएम राहुल

■ **कार्यशाला में योजना के संचालन प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाया**

मां वाउचर योजना के सफल संचालन के लिए जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

माथुर, डीपीसी पीसीपीएनडीटी जगदीश प्रसाद गुर्जर, वाशिद हुसैन सहित सोनोग्राफी सेंटर के संचालक व बीपीएम शामिल हुए। सीएमएचओ डॉ. सामर ने बताया कि राजस्थान बजट घोषणा के अनुसार मां वाउचर योजना की जल्द शुरुआत होगी, जिसमें गर्भवती महिला की दूसरी या तीसरी तिमाही में गर्भकाल के दौरान सोनोग्राफी नि:शुल्क कराई जाएगी। इस मां वाउचर योजना में जिले के सभी निजी सोनोग्राफी सेंटरों को जोड़ा जाएगा, ताकि गर्भवती महिलाओं को उन्हीं के एरिया में सोनोग्राफी की सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि विभागीय सॉफ्टवेयर पीसीटीएस, पीसीपीएनडीटी इंपैक्ट और ओजस को इंटीग्रेटेड कर ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। पीसीटीएस पर पंजीकृत गर्भवती महिलाओं एलएमपी तारीख के अनुसार दूसरी या तीसरी तिमाही में प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान दिवस पर आवश्यक जांच के साथ-साथ सोनोग्राफी जांच करवाने के लिए क्यूआर कोड युक्त कूपन उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जारी किया जाएगा। इस कूपन के माध्यम से गर्भवती महिला विभाग से अधिकृत किसी भी निजी सोनोग्राफी केंद्र पर अपनी सोनोग्राफी जांच नि:शुल्क करवा सकेगी। इसके अलावा पूर्व की भांति सरकारी सोनोग्राफी सेंटर पर नि:शुल्क सोनोग्राफी जारी रहेगी।

पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण

बूंदी (निसं)। कलेक्टर अक्षय गोदारा ने सोमवार को 125.63 लाख रुपये की लागत से बरूंधन व बैरवा की झौंपडी के बीच घोड़ा पछाड़ नदी पर बनाए जा रहे लोहे के झूला पुल के निर्माण की प्रगति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पुल का शेष कार्य अतिशीघ्र पूर्ण किया जावे, ताकि ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़े। आमजन से भी आव्हान किया कि पुल निर्माण होने तक सावधानी बरती जावे। इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता इन्द्रजीत मीणा ने बताया कि एक करोड़ 25 लाख 63 हजार की लागत से घोडा पछाड नदी पर लोहे के झूला पुल की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

सार-समाचार

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का आयोजन

कोटा, (निसं)। कोटा विश्वविद्यालय वन्यजीव विज्ञान विभाग में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुल सचिव डॉ रीना दाधीच के द्वारा की गई तथा उन्होंने बाघों के संरक्षण में तकनीकि ड्रोन, कैमरा ट्रैप इत्यादि की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. से आए राजासेकर राजारमन (एसोसिएट कोऑर्डिनेटर (डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इंडिया) व अक्षय जैन (प्रोजेक्ट ऑफिसर, डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ.) ने अपने व्याख्यान में बताया कि दिन प्रतिदिन घट रही बाघों की संख्या चिंता का विषय है, और बाघों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। अक्षय जैन ने बताया कि बाघों की संख्या कम होने का मुख्य कारण वर्तमान समय में बढ़ रहा वनों का अति दोहन तथा अवैध शिकार व तस्करी है। इस अवसर पर अतिथि के रूप में डॉ नीलू चौहान, डॉ अखिलेश पांडे ने भी बाघों की घट रही संख्या के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि बाघों को संरक्षित करने में हम किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के समन्वयक व संकाय सदस्य भी उपस्थित रहे। मंच संचालन डॉ पल्लवी गुप्ता द्वारा किया गया। संकाय सदस्य डॉ रंजना गुप्ता, डॉ विनीत महोबिया, डॉ अंशु शर्मा व तरुणा पाटीदार के साथ-साथ विभाग के अन्य सदस्य घनश्याम शर्मा, प्रमोद सेन व विभाग के सभी विद्यार्थियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का समापन समन्वयक डॉ सपना भार्गव द्वारा सभी का हृदय से आभार प्रकट कर किया गया। डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यार्थियों, अतिथियों व संकाय सदस्यों को डायरी व कैप का भी वितरण किया गया।

एक यू.पी.एच.सी. और दो उप स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्ता सर्टिफिकेट मिला

कोटा, (निसं)। भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन सर्टिफिकेशन कार्यक्रम (एनक्यूएएस) के तहत जिले के एक यूपीएचसी और दो उप स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्ता सर्टिफाई घोषित किया गया है। अब इन केंद्रों को निर्धारित प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सीएमएचओ डॉ जगदीश सोनी ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रंगबाड़ी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र ताथेड़ और आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र केबल नगर को गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला हैं। अब यूपीएचसी रंगबाड़ी को केंद्र सरकार की ओर से तीन साल में कुल 9 लाख (प्रतिवर्ष 3 लाख रुपये) और दोनों उप स्वास्थ्य केंद्रों को 378000 रुपये प्रति केंद्र की प्रोत्साहन राशि 3 साल में मिलेगी (प्रतिवर्ष 126000 रुपये)। इस राशि से इन केंद्रों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने में व्यय किया जाएगा। डिप्टी सीएमएचओ ने बताया कि रंगबाड़ी यूपीएचसी के 12 विभागों का 10 व 11 जून को केंद्रीय टीम द्वारा एक्सटर्नल एसेसमेंट किया था। जिसमें उसने 86 फीसदी स्कोर हांसिल किया। इसी तरह ताथेड़ का 24 और केबल नगर उप स्वास्थ्य केन्द्र का 25 जून को एसेसमेंट हुआ था। इन दोनों केंद्रों ने 7 मेंडेटरी सर्विस पैकेज में क्रमश: 86.99 व 89.43 फीसदी ओवरआल स्कोर प्राप्त किया एनएचएसआरसी ने 22 जुलाई को ये परिणाम जारी किया है।

नालों का सफाई अभियान जारी

कोटा, (निसं)। मानसून आगमन के साथ ही नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा नालो की सफाई का अभियान लगातार जारी है। चैन माउंटेण्ड मशीन के द्वारा दो दिन की बारिश के दौरान भी सफाई अभियान जारी रहा। दानबाड़ी के सामने स्थित बरसाती नाले से पिछले तीन दिनों से करीबन् 75 डम्पर मलवा-कचरा निकाला गया। शहर में दो दिन से हुई बारिश के बाद पठारी क्षैत्र के पानी की आवक भारी मात्रा में होने के कारण आल्हा उदल पार्क के सामने वाला नाला उफान के कारण बरसाती पानी रोड पर आ गया था। महापौर राजीव अग्रवाल ने बताया कि नालों में बारिश के पानी के साथ बहकर आया ठोस कचरा नालों के मौखों में फस जाने के कारण नाले का पानी ओवर फ्लो हो गया था। महापौर ने मौके पर उपस्थित रहकर मौखों को साफ करवाया। मौखों की उचित सफाई के लिये महापौर के द्वारा चौन माउंटेण्ड की बकट में बैठकर आवश्यक निर्देश सफाई कर्मचारियों को दिये गये। महापौर ने बताया कि नालों की सफाई स्वयं की निगरानी में करवायी जा रही है। महापौर ने आम जनता से अपील कर कहां है कि अपने आवास व दुकान का कचरा नालों में ना डाले।

मुकुंदरा के पर्यटन को लगेंगे पंख

कोटा, (निसं)। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और कोटा के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पगमार्क फाउंडेशन ने मुकुंदरा कॉलिंग अभियान शुरू किया है। इस अभियान की शुरुआत फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष देवव्रत सिंह हाड़ा ने की। उन्होंने बताया कि अगले महीने फिल्म और पर्यटन से जुड़ी जानीमानी हस्तियां कोटा और मुकुंदरा का दौरा करेंगी, जिससे इन स्थलों का प्रचार-प्रसार होगा। पगमार्क फाउंडेशन की कोमल रैगर ने बताया कि अंतराष्ट्रीय बाघ दिवस के उपलक्ष में फाउंडेशन से जुड़ी छात्राओं ने फेस पेंटिंग के माध्यम से बाघ संरक्षण का संदेश दिया और मुकुंदरा हिल्स टाईगर रिजर्व के उप वन संरक्षक अभिमन्यु सारण से मुलाकात की और उन्होंने बाघ की पेंटिंग भी बनाई। यह पहल मुकुंदरा और कोटा के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर फाउंडेशन के अजय राठौर, भारती साहू, ईशा नायक, सोनिया चौहान, पायल, इस्थर, नेहा, बबली जागा, रामकन्या डांगी समेत बड़ी संख्या छात्राए मौजूद रही।

कोटा-इंदौर के मध्य 30 जुलाई से 4 ट्रिप चलेगी स्पेशल ट्रेन

कोटा, (निसं)। रेल प्रशासन द्वारा सावन मेला के अवसर पर यात्री भीड़ को कम करने के उद्देश्य से कोटा से इंदौर के मध्य एक स्पेशल का संचालन किया जा रहा हैं। यह स्पेशल गाड़ी दोनों दिशाओं में 30 जुलाई से 20 अगस्त के बीच मंगलवार साप्ताहिक रूप में 4-4 ट्रिप चलेगी। गाड़ी संख्या 09803/09804 कोटा-इंदौर-कोटा स्पेशल, कोटा से दोपहर 14.10 बजे प्रस्थान कर रात 21.00 बजे इंदौर पहुँचेगी इसी प्रकार वापसी में इंदौर से रात 22.40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन कोटा सुबह 6.25 बजे पहुँचेगी। यह गाड़ी दोनों दिशाओं में कोटा से इंदौर के बीच रामगंजमंडी, भवानीमंडी, शामगढ़, सुवासरा, चौमहला, विक्रमगढ़, आलोट, महिदपुर, नागदा, उज्जैन एवं देवास स्टेशन पर रुकेगी। वातानुकूलित प्रथम एसी 1 कोच, वातानुकूलित सेकेण्ड एसी 2 कोच, वातानुकूलित थर्ड एसी 6 कोच, वातानुकूलित इकोनामी थर्ड एसी 1 कोच, स्लीपर 6 कोच, 4 सामान्य श्रेणी कोच, 1 एसएलआर एवं 1 जनरेटर कार सहित कुल 22 कोच होंगे।

कोटा के विद्या मंदिर स्कूल दादाबाड़ी में नन्हें-नन्हें बच्चों द्वारा पौधारोपण किया गया। विद्या मंदिर विद्यालय में बच्चों के द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में हिस्सेदारी निभाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों द्वारा छोटे-छोटे बच्चों के हाथों से पौधारोपण भी करवाया गया।

'निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें'

कोटा, (निसं)। ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर डॉ रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई जिसमें विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निश्चित समय सीमा में कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सात अगस्त को अमृत महोत्सव एक पेड़ देश के नाम अभियान के तहत लाखों वृक्षारोपण एक साथ किए जाएंगे इसलिए उन्होंने कहा वृक्षारोपण के लिए चिन्हित स्थानों पर श्रमिकों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा 250 वृक्षों पर एक श्रमिक भी लगाया जाएगा जो पेड़-पौधों की देखरेख करेगा एवं समस्त पौधों की जियो टैगिंग भी की जाएगी और पौधों की देखरेख के अनुसार ही श्रमिकों को मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्लांटेशन सेल भी स्थापित किया जाए जिसमें कितने वृक्ष कहां लगाए गए हैं व उन पर कितने श्रमिक रखे गए हैं संबंधी समस्त जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना में कम प्रगति पर कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि जो अधिकारी व कार्मिक कार्यों के प्रति गंभीर नहीं है एवं जिनके कार्यों में प्रगति नहीं दिख रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

'विद्युत व्यवस्थाओं के दुरुस्तीकरण के लिए अभियान चलाकर कार्य करें'

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ रविंद्र गोस्वामी ने निर्देश दिए हैं कि सघन अभियान चलाकर सुरक्षित विद्युत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। निर्माणाधीन भवनों एवं ऐसे अन्य स्थानों पर कमियों को चिन्हित कर दुरुस्त कराया जाए। कोचिंग, हॉस्टल, लाईब्रेरी इत्यादि में विशेष तौर पर अभियान के तौर पर जांचा जाए कि ये बेसमेंट में तो नहीं चल रहे, फायर एनओसी है या नहीं। नगर निगम, पुलिस और केईडीएल की संयुक्त टीम तीन दिवस में यह कार्य करे। उन्होंने सोमवारीय समीक्षा बैठक में बजट घोषणाओं में प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्धारित टाईम लाईन के अनुसार क्रियान्विति की बात कही ताकि समय पर लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करते हुए चरणबद्ध तरीके से प्रगति अर्जित करें। विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति एवं कार्यक्रमों के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। जिला रसद अधिकारी को राशन डीलरों के माध्यम से उपभोक्ताओं की केवाईसी एवं क्रॉस वेरीफिकेशन के संबंध में निर्देशित किया गया।

लापता हैड कांस्टेबल को पुलिस ने उज्जैन से दस्तयाब किया, 23 जुलाई से लापता था

बूंदी (निसं)। 23 जुलाई की शाम को शहर की इंद्रा कॉलोनी से लापता हुए हैड कांस्टेबल रामचरण धाकड़ को बूंदी की सदर थाना थाना पुलिस ने मध्यप्रदेश के उज्जैन से दस्तयाब किया।

रविवार देर रात पुलिस हैड कांस्टेबल को लेकर बूंदी पहुंची है। फिलहाल पुलिस द्वारा हैड कांस्टेबल से पूछताछ की जा रही है। हैड कांस्टेबल के मिलने के बाद पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली है। दरअसल, हैड कांस्टेबल गेण्डोली थाने में तैनात हैं और वह 16 जुलाई से थाने में गैरहाजिर चल रहा था।

हैड कांस्टेबल के पास नहीं था मोबाइल:- मामले की जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी भगवान सहाय मीणा ने बताया कि लापता हैड कांस्टेबल को उज्जैन से दस्तयाब कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस के लिए इसे ढूंढ़ना मुश्किल था क्योंकि हेड कांस्टेबल के पास मोबाइल भी नहीं था। वह मोबाइल को घर पर ही छोड़ गया। लेकिन बैंक का एटीएम ले गया। जब हैड कांस्टेबल के पास पैसे खत्म हुए तो एटीएम से उसने पैसे निकाले।

जैसे ही पांच हजार रुपए निकालने के मैसेज आया पुलिस ने कस्टमर केयर से जानकारी ली तो रुपए मध्यप्रदेश के उज्जैन से निकालने की बात सामने आई थी। इसके बाद उज्जैन पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर पुलिस की एक टीम उज्जैन के लिए रवाना की।

रेलवे स्टेशन पर मिला:- सदर थानाधिकारी ने बताया कि बूंदी पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से उज्जैन में हैड कांस्टेबल को चप्पे-चप्पे पर तलाश किया। करीब 5 से 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे उज्जैन के रेलवे स्टेशन से दस्तयाब किया है। इसके बाद उसे उज्जैन थाने ले गई। फिर पुलिस की टीम उसे देर रात बूंदी लेकर पहुंची। जहां उसके बयान दर्ज किया जा रहे हैं।

एसपी ने मामले को लिया गंभीर:- बता दें कि हैड कांस्टेबल रामचरण गेण्डोली थाने में तैनात है और वह 23 जुलाई को अचानक घर से लापता हो गया। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। इसके बाद एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सदर थाना प्रभारी भगवान सहाय मीणा को इसकी जिम्मेदारी दी।

थानाधिकारी ने टीम का गठन कर शहर और आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज निकाले, तकनीकी माध्यम से जानकारी जुटाई। पुलिस टीम ने कई स्थानों को भी सर्च किया। लेकिन पुलिस प्रयास में लगी रही।

आखिर पांच दिन बाद सफलता मिल ही गई। उधर जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा का कहना है कि इस तरह से स्वयं लापता होने से पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। कोई बात थी तो हमें बताया होता। इस तरह की घटनाओं से पुलिस की छवि खराब होती है।

जिला प्रशासन की पहल से आमजन को राहत में इजाफा

कोटा, (निसं)। आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण को मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता को कोटा जिले ने मिशन मोड में लिया है। इस अभियान को मिशन-30 नाम देते हुए परिवेदनाओं का निस्तारण अधिकतम 30 दिवस में करने और संतुष्टि प्रतिशत न्यूनतम 70 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य अधिकारियों को दिया गया है। जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी के निर्देशन में परिवेदना निस्तारण के हर चरण पर प्रभावी मॉनिटरिंग और आपसी समन्वय से नतीजा यह हुआ है कि छह माह पूर्व जहां परिवाद औसतन 34 दिन में निस्तारित हो रहे थे, वहीं अब औसतन 8 दिन में निस्तारित हो रहे हैं और संतुष्टि प्रतिशत 71.07 पहुंच गया है। जिला प्रशासन की इस पहल से न केवल प्रकरणों के निस्तारण में गति आई है बल्कि राहत का दायरा बढ़ा है और रिजेक्शन के मामलों में कमी आई है। कलेक्टर स्वयं राजस्थान संपर्क सहित ग्राम पंचायत, उपखंड स्तरीय, जनसुनवाई सहित लोकायुक्त एवं मुख्यमंत्री स्तर से प्राप्त प्रकरणों की स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए समयबद्ध निस्तारण करते हैं।

खोया-पाया

मेरे आवास संख्या 1-च-20 दादाबाड़ी कोटा के मूल दस्तावेज जिसमें कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है। काफी ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है। जिस किसी व्यक्ति को मिले इस पते पर सूचित करें।
पता-गुरुज्योत सिंह सेठी, 1-च-20 दादाबाड़ी कोटा, मो. 9828138441

खोया-पाया

रजनी पुत्री हरीश कुमार मेरी दुकान संख्या 14 वाके दादाबाड़ी का निरस्तीकरण पत्र दादाबाड़ी से सीएडी जाते समय कई गुम हो गया है। जिस किसी को मिले सूचित करें।
मो. 7728855669

कार्यालय वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक, रीको, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा
आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या जी 1-79 औद्योगिक क्षेत्र कुदायला रामगंजमण्डी, कोटा का आंवटन दिनांक 11.01.1988 को मैसर्स कोमल एन्टरप्राइजेज प्रो. श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रभुलाल रेडीवाल के पक्ष में किया गया था। जिसके लीजडीड का निष्पादन दिनांक 28.06.1988 व पंजीयन दिनांक 02.08.1988 को रीको व मैसर्स कोमल इण्डस्ट्रीज के मध्य निष्पादित/पंजीकृत करवाई गई थी। तत्पश्चात् भूखण्ड के आवंटी श्री देवेन्द्र कुमार की मृत्यु हो जाने के कारण भूखण्ड के लीजहोल्ड राईट्स कार्यालय आदेश दिनांक 27.03.2001 द्वारा श्रीमती सुबोध रेडीवाल के पक्ष में हस्तान्तरित किये गये। तत्पश्चात् प्रस्तुत भूखण्ड संख्या जी 1-79 औद्योगिक क्षेत्र कुदायला रामगंजमण्डी, कोटा का विक्रय, दिनांक 27.07.2001 को श्रीमती सुबोध रेडीवाल व श्री अशोक कुमार सेठिया के मध्य निष्पादित व दिनांक 03.08.2001 को पंजीकृत मूल विक्रय पत्र के आधार पर किया गया। तदुपरान्त कार्यालय आदेश दिनांक 18.07.2001 द्वारा भूखण्ड के लीजहोल्ड राईट्स मैसर्स श्री अशोक स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रो. श्री अशोक कुमार सेठिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये गये।
यह कि फर्म मैसर्स अशोक स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रो. श्री अशोक कुमार सेठिया द्वारा कार्यालय में आवेदन कर सूचना दी गई है कि भूखण्ड संख्या जी 1-79 औद्योगिक क्षेत्र कुदायला रामगंजमण्डी, कोटा की, श्रीमती सुबोध रेडीवाल व श्री अशोक कुमार सेठिया के मध्य दिनांक 27.07.2001 को निष्पादित व दिनांक 03.08.2001 को पंजीकृत मूल विक्रय पत्र गुम हो गया है। जिसके संबंध में उद्यमी द्वारा दिनांक 15.06.2024 को गुमशुदगी रिपोर्ट नं. 2201036/2024 दर्ज करवायी गई है। यदि उक्त दस्तावेज किसी भी वित्तीय संस्थान/व्यक्ति के पास बंधक/मौजूद हो तो इसकी लिखित में सूचना मय दस्तावेजी साक्ष्य इस आम सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर देवें। यदि 30 दिवस के भीतर कोई आपत्ति या सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इस कार्यालय द्वारा उद्यमी श्री अशोक कुमार सेठिया के आवेदन पर विचार कर नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। कृपया विदित रहे की दी गई मियाद निकलने के पश्चात् प्राप्त हुई किसी भी शिकायत/आपत्ति पर कोई गौर नही फरमाया जायेगा।
(एम.के. शर्मा)
वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक
दिनांक : 22.07.2024 रीको, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-829 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक 29.7.2024

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा सुभाष नगर आवासीय योजना भूखण्ड संख्या 657 का आवंटन पत्र 227 दिनांक 20.04.1991 को श्री पारूमल पुत्र श्री कक्कूमल को किया गया था। आवंटी श्री पारूमल पुत्र श्री कक्कूमल को द्वारा उक्त भूखण्ड का मुख्तारआम श्रीमती खातीजा बैगम पत्नि श्री अब्दुल हफीज को मुख्तारआम नियुक्त किया गया है। मुख्तारआम श्रीमती खातीजा बैगम पत्नि श्री अब्दुल हफीज द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 657 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.05.2012 को श्री राधामोहन नागर पुत्र श्री चौथमल नागर के द्वारा नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 657 सुभाष नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री राधामोहन नागर पुत्र श्री चौथमल नागर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उप सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ11/विक्रय/2024/1180 नाम हस्तान्तरण विज्ञप्ति दिनांक 29.7.2024

नगर विकास न्यास, कोटा की योजना विनोबा भावे नगर योजना में आवास संख्या 1599 आवंटी श्री आयुष शर्मा पुत्र कन्हैया लाल शर्मा के नाम से आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 24.04.2010 को जारी किया गया था। श्री आयुष शर्मा द्वारा नियुक्त मुख्तारआम श्री तेज नारायण आचार्य पुत्र कोमल प्रसाद आचार्य द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.06.2024 द्वारा उक्त आवास का बेचान श्री पप्पू लाल कारपेन्टर पुत्र घनश्याम कारपेन्टर को कर दिया गया है। श्री पप्पू लाल कारपेन्टर द्वारा उक्त आवास का नाम हस्तान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 1599 योजना विनोबा भावे नगर का नाम हस्तान्तरण श्री पप्पू लाल कारपेन्टर पुत्र घनश्याम कारपेन्टर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उप सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक-एफ15/कृ.भू.रू./2024/1765 विज्ञप्ति दिनांक 29.7.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम भदाना योजना प्रताप कोलोनी खसरा नं. 42 में स्थित भूखण्ड संख्या 4 का आधा भाग के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री भैरूलाल निवासी-प्रताप कॉलोनी, रंगपुर रोड़, कोटा जं. कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 11120 दिनांक 30.12.2011 को श्रीमती पारवती बाई पत्नि श्री भैरूलाल गुर्जर के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदक द्वारा संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार पट्टेधारी की मृत्यु दिनांक 12.11.2018 को हो चुकी है। पट्टेधारी श्रीमती प्रसन्ना देवी की मृत्यु उपरांत विधिक वारिसान (1) श्रीमती कमलेश (2) श्रीमती मंजू बाई (3) श्रीमती सावित्री एवं (4) श्रीमती गायत्री देवी द्वारा श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री भैरूलाल के पक्ष में पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 13.06.2024 से उक्त भूखण्ड का हक त्याग कर दिया है। आवेदक द्वारा (1) रिलीज डीड (2) शपथ पत्र एवं (3) मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण चाहा गया है।
अत: श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री भैरूलाल के नाम हस्तान्तरण किये जाने में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।
उप सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-2235 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक 29.7.2024

कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जे.पी.मार्केट दी हॉल सेल क्लॉथ मर्चेन्ट व्यवसायिक योजना में दुकान संख्या 22 का आवंटन मै. भजनलाल, किशन दास प्रो. श्रीमती लता देवी के पक्ष में दिनांक 28.12.1998 को किया गया था। जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 30.03.99 को हो चुकी है। पंजीयन कार्यालय में पंजीकृत विनियम पत्र दिनांक 28.08.2004 के द्वारा श्रीमती लता देवी पत्नी श्री भजनलाल के द्वारा आवंटित दुकान संख्या 22 एवं श्रीमती गायत्री जैन पत्नी श्री सौभागमल जैन व सरीता जैन पत्नी श्री लोकेश जैन के द्वारा आपस में विनिमय (एक्सचेंज) किया गया है। श्रीमती सरीता जैन पत्नी श्री लोकेश जैन के द्वारा दुकान संख्या 22 के अपने अविभाजित 1/2 हिस्से का जर्ये पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 02.03.2022 के द्वारा श्री लोकेश जैन पुत्र श्री ज्ञानचंद जैन को उपहार किया गया है। श्री लोकेश जैन द्वारा अपने अविभाजित भाग 1/2 का बैचान श्रीमती गायत्री जैन पत्नी श्री सौभागमल जैन को बैचान किया गया है। श्रीमती गायत्री जैन के द्वारा दुकान के कुल क्षेत्रफल 191.50 वर्गफीट का अपने नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु विनिमय (एक्सचेंज) पत्र, विक्रय पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि दस्तावेज के साथ आवेदन पर प्राप्त ऑनलाईन विधिक राय के अनुसार आवेदिका श्रीमती गायत्री जैन पत्नी श्री सौभागमल जैन के पक्ष में नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही अपेक्षित है।
अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/दुकान संख्या 22 जे.पी.मार्केट दी हॉल सेल क्लॉथ मर्चेन्ट व्यवसायिक योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती गायत्री जैन पत्नी श्री सौभागमल जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उप सचिव नगर विकास न्यास, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2885 जाहिर आम सूचना दिनांक - 29.7.24

आवास संख्या 4-ई-34 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती शशीकला मित्तल पत्नी श्री प्रेमचंद मित्तल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता के नाम दिनांक 27.03.2000 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता के नाम दिनांक 28.03.2000 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता की मृत्यु दिनांक 12.10.2023 को एवं इनके पति श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता की मृत्यु दिनांक 11.12.2023 को हो चुकी है। श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री पुरुषोत्तम दास गुप्ता द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 25.11.2021 को श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास के पक्ष में आलेखित की गई। श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-ई-34 दादाबाड़ी कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।
अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री महेश गुप्ता पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास के नाम कर दिया जावेगा।
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2868 जाहिर आम सूचना दिनांक - 26.7.24

आवास संख्या 1-ब-18 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री शिवशंकर शर्मा को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री शिवशंकर शर्मा द्वारा दिनांक 18.11.1996 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री शिवशंकर शर्मा की मृत्यु दिनांक 26.03.2007 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री किशन लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री राधेश्याम शर्मा, श्री रघुनन्दन शर्मा पुत्र स्व. श्री राधेश्याम शर्मा, श्रीमती उमा शर्मा पुत्री स्व. श्री राधेश्याम शर्मा, श्रीमती गायत्री गौत्तम पुत्री स्व. श्री राधेश्याम शर्मा एवं श्रीमती रमा शर्मा पत्नी स्व. श्री गोपाल शर्मा पुत्रवधु स्व. श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) आलेखित कर दिनांक 27.10.2010 को श्रीमती प्रेम बाई शर्मा पत्नी स्व. श्री राधेश्याम शर्मा के पक्ष में किया गया। श्रीमती प्रेम बाई शर्मा पत्नी स्व. श्री राधेश्याम शर्मा का नाम दिनांक 12.07.2011 को हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर हस्तांतरण/प्रतिस्थापन किया गया। तत्पश्चात श्रीमती प्रेम बाई शर्मा पत्नी स्व. श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा उक्त आवास का दान जरिये गिफ्ट डीड/उपहार पत्र आलेखित कर दिनांक 31.03.2023 को श्री अमित शर्मा पुत्र स्व. श्री गोपाल शर्मा के पक्ष में किया गया। श्री अमित शर्मा पुत्र स्व. श्री गोपाल शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ब-18 दादाबाड़ी कोटा को गिफ्ट डीड/उपहार पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।
अत: इस आवास के मंडल अभिलेख में श्री अमित शर्मा पुत्र स्व. श्री गोपाल शर्मा का नाम गिफ्ट डीड/उपहार पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि इस आवास के मंडल अभिलेख में श्री अमित शर्मा पुत्र स्व. श्री गोपाल शर्मा का नाम गिफ्ट डीड/उपहार पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में श्री अमित शर्मा पुत्र स्व. श्री गोपाल शर्मा का नाम गिफ्ट डीड/उपहार पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2882 जाहिर आम सूचना दिनांक - 29.7.24

आवास संख्या 2-ख-28 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री एस.डी. त्रिपाठी पुत्र श्री विष्णुदत्त त्रिपाठी को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री एस.डी. त्रिपाठी पुत्र श्री विष्णुदत्त त्रिपाठी द्वारा दिनांक 31.05.1990 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री श्रीधर दत्त त्रिपाठी पुत्र श्री विष्णुदत्त त्रिपाठी द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 09.11.1992 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्री बचत्तर सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह अलग को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्री बचत्तर सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह अलग मुख्तार आम श्री श्रीधर दत्त त्रिपाठी पुत्र श्री विष्णुदत्त त्रिपाठी द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 19.05.1994 को श्री कुल तारन सिंह पुत्र श्री बचत्तर सिंह को किया गया। श्री कुल तारन सिंह पुत्र श्री बचत्तर सिंह का नाम दिनांक 27.02.2020 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री कुल तारन सिंह पुत्र श्री बचत्तर सिंह द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 09.02.2022 को श्री कपिल शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा को किया गया। श्री कपिल शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-ख-28 विज्ञान नगर कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।
अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री कपिल शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री कपिल शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री कपिल शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2884 जाहिर आम सूचना दिनांक - 29.7.24

आवास संख्या 2/547 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री गप्पू खां पुत्र श्री इस्माइल खां को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री रमेशचंद पुत्र श्री धूली लाल के नाम दिनांक 12.01.2007 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री रमेशचंद पुत्र श्री धूली लाल द्वारा दिनांक 10.04.2007 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री रमेशचंद पुत्र श्री धूली लाल द्वारा उक्त आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 12.01.2014 को मुख्तारनामा आम आलेखित कर श्री गिर्राज प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम को अपना मुख्तार आम नियुक्त किया गया। श्री गिर्राज प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 20.10.2014 को श्री जितेन्द्र कुमार नामा पुत्र श्री लालचंद नामा को किया गया। श्री जितेन्द्र कुमार नामा पुत्र श्री लालचंद नामा का नाम दिनांक 20.01.2015 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री जितेन्द्र कुमार नामा पुत्र श्री लालचंद नामा द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 28.11.2018 को श्रीमती सुनिता मीणा पत्नी श्री बनवारीलाल मीणा को किया गया। श्रीमती सुनिता मीणा पत्नी श्री बनवारीलाल मीणा का नाम दिनांक 23.07.2021 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती सुनिता मीणा पत्नी श्री बनवारीलाल मीणा द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 06.10.2023 को श्रीमती चन्द्रकला मीणा पत्नी श्री यादराम मीणा को किया गया। श्रीमती चन्द्रकला मीणा पत्नी श्री यादराम मीणा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2/547 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।
अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती चन्द्रकला मीणा पत्नी श्री यादराम मीणा का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती चन्द्रकला मीणा पत्नी श्री यादराम मीणा का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती चन्द्रकला मीणा पत्नी श्री यादराम मीणा के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा